

69866 - यदि आदमी बायें पैर को धोने से पहले दायें पैर में मोजा पहन ले तो क्या वह मोजे पर मसह करेगा ?

प्रश्न

कुछ लोग वुजू में अपना दायां पैर धोने के बाद जुराब पहन लेते हैं, फिर बायां पैर धोते हैं और उस पर जुराब पहनते हैं, यदि वह इसके बाद वुजू करे तो क्या उसके लिए जुराबों पर मसह करना जाइज़ है ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है।

"श्रेष्ठ और अधिक सावधानी इसी में है कि : वुजू करने वाला मोजा न पहने यहाँ तककि वह अपने बायें पैर को धो ले ; क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "जब तुम में से कोई व्यक्ति वुजू करे और अपने मोजे पहन ले तो उसे उन पर मसह करना चाहिए, और उनमें नमाज़ पढ़ना चाहिए, और यदि चाहे तो उन्हें न निकाले सिवाय जनाबत (अर्थात् स्वपनदोष या संभोग) के।" इसे दारकुतनी और हाकिम ने वर्णन किया है और हाकिम ने इसे अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस से सहीह कहा है। तथा अबू बक्रा अस्सक्रफी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस के आधार पर कि : नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यात्री के लिए तीन दिन-रात और निवासी के लिए एक दिन-रात की रूख़सत दी है कि जब वह वुजू करके अपने मोजे पहन ले तो उन पर मसह करे।" इसे दारकुत्नी ने वर्णन किया है और इब्ने खुज़ैमा ने सहीह कहा है।

तथा सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम में मुगीरा बिन शो'बा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस के आधार पर कि उन्होंने ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को वुजू करते देखा तो उन्होंने ने आपके मोजे को निकालना चाहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे कहा : "उन्हें रहने दो क्योंकि मैं ने उन्हें इस हालत में पहना है कि वे दोनों (पैर) पवित्र थे।" इन तीनों हदीसों और इनके अर्थ में वर्णित अन्य हदीसों का प्रत्यक्ष अर्थ यह है कि मुसलमान के लिए मोजे पर मसह करना जाइज़ नहीं है सिवाय इसके कि उसने उन्हें संपूर्ण तहारत (वुजू) के बाद पहना हो, और जिस व्यक्ति ने मोजे या जुराब को अपने दायें पैर में अपने बायें पैर को धोने से पहले पहन लिया तो उसकी तहारत (वुजू) संपूर्ण नहीं हुई।

तथा कुछ उलमा मसह के जाइज़ होने की ओर गये हैं, यद्यपि मसह करने वाले ने अपने दायें पैर को बायें पैर के धोने से पहले मोजे या जुराब में डाल लिया हो ; क्योंकि उनमें से प्रत्येक को उन्हें धोने के बाद डाला गया है।



जबकि अधिक सावधानी : पहले कथन में है और वही प्रमाण में अधिक स्पष्ट है। और जिस व्यक्ति ने ऐसा कर लिया है उसके लिए उचित यह है कि वह मोज़े या जुराब को मसह करने से पहले अपने दायें पैर से निकाल ले, फिर बायें पैर को धोने के बाद पुनः पहन ले, ताकि वह इस्त्रिलाफ से बाहर निकल जाये और आपने दीन के प्रति सावधानी से काम ले।" (अंत)

शैख इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह "मजमूओ फतावा इब्ने बाज़" (10 / 116)

तथा इस बात की दलील कि मोज़ों पर मसह करना जाइज़ नहीं है सिवाय इसके कि आदमी ने उन्हें संपूर्ण तहारत (वुज़ू) के बाद पहना हो, इस से भी पकड़ी जा सकती है : जिसे इब्ने खुज़ैमा और दारकुतनी ने अबू बक्ररह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि : "नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यात्री के लिए तीन दिन-रात और निवासी के लिए एक दिन-रात की रूख़सत दी है कि जब वह वुज़ू करके अपने मोज़े पहन ले तो उन पर मसह करे।"

इसे ख़त्ताबी ने सहीह कहा है, और बैहक़ी ने उल्लेख किया है कि : शाफ़ेई ने इसे सहीह कहा है। तथा नववी ने इसे हसन कहा है। "तलख़ीसुल हबीर" (1 / 278)

देखिए : "अल-मजमूअ लिन-नववी" (1 / 541)